मनइन के अधिकारन कै जगतबियापी ऐलान

संजुक्तरास्ट्र कै सामान्य सभा (जनरल असेम्बली) 10 दिसम्बर, 1948 कां मनइन के अधिकारन कै जगतबियापी ऐलान कां मंजूरी दइकै ओकै मुनादी किहिस। एकै पूरा पाठ आगे के पन्नन मा दीन गै बा। यहि ऐतिहासिक कामे के बादै सामान्य सभा सब सदस्य देसन से अपील किहिस कि वै यहि ऐलान कै परचार तौ करबै करैं, देसन औ प्रान्तन क राजनीतिक इसथिती के आधार पै भेदभाव कै विचार किहे बिना ,खास कइकै इसकूलन औ दुसरी पढ़ाई–लिखाई की जगहन मां एकरे परचार कै, देखावै कै, पढ़ै–पढ़ावै और समुझावै बुझावै (व्याख्या करै) कै जतन करें। यहि ऐलान कै सरकारीपाठ संजुक्त रास्ट्र की पांच भासन मां पावा जाय सकथै– अंगरेजी, चीनी, फरांसीसी, रूसी अउर इसपेनिस। अनुवाद कै जवन पाठ हियां दीन गै बा, ऊ भारत सरकार मंजूर किहे बा।

मनइन के अधिकारन कै जगतबियापी ऐलान

प्रस्तावना

चूँकी मनइन के परिवार के सारे सदस्यन क जनमजात गउरव औ बरोबर अउर अविच्छिन्न अधिकारन कै मंजुरियै दुनिया मा सान्ती, न्याव औ आजादी कै नेंव बा।

चूंकी मनइन के अधिकारन के बरे उपेच्छा औ घिना के कारनै अइसन जघन्य काम भये, जेनसे मनइन की आतमा तक पै अत्याचार किहे गये, चूंकी यक अइसन विस्वव्यवस्था की असथापना कां ,जौनै मां लोगन कां बोलै चालै, भासन देय कै आजादी तौ मिलबै करै, भय अउर अभाव से मुकतिव मिलै ,सब जनन की ताईं सर्वोच्च आकांक्षा घोसित कीन गै बा।

चूंकी जौ अन्यायी सासन औ जुलुम के खिलाफ लोगन कां बगावत करै की ताईं– वही कां आखिरी उपाय समझि कै– मजबूर नांय होइ जाय कां बा– तौ कानून से नेम बनाइ कै मनइन के अधिकारन कै हिफाजति करब जरूरी बा।

चूंकी रास्ट्रन के बीचे मां दोस्ती के रिस्तन कां बढ़ाउब जरूरी बा।

चूंकी संजुक्त रास्ट्र के सदस्य देसन कै आम लोगै मनइन के बुनियादी अधिकारन मां, मनइन के व्यक्तित्व के गउरव औ जोग्यता मां अउर मेहरारू मरदन के बरोबर अधिकारन मां आपन विसवास अधिकार पत्र मां दोहराये हइन अउर तय किहै हइन कि जादा बियापक आजादी के तहत सामाजिक तरक्की औ जिनगी कै असतर अउर ऊंच कीन जाये।

चूंकी सदस्य देसै ई परन करे हइन कि वै संजुक्त रास्ट्र की मदद से मनइन के अधिकारन औ बुनियादी आजादियन कै जगतबियापी सम्मान बढ़इहैं।

चूंकी यहि परन कां पूर–पूर निभावै खातिर यन अधिकारन और आजादियन कै रूप समझब सबसे जादा जरूरी बा।

यहि कारन अब सामान्यसभा मुनादी करति बा की

मनइन के अधिकारन कै ई जगतबियापी ऐलान सब देसन औ सब लोगन कै यक जइसन सफलता होय। एकै उद्देस्य ई बा कि हर मनई औ समाज कै हर हिस्सा यहिकां मन मां लइकै पढाई अउर सिच्छा के जरिये तरक्कीपसन्द साधनन से लगातार ई कोसिस करै कि यन अधिकारन औ आजादियन के सम्मान कै भावना जागै औ लगातार यस रास्ट्रीय व अन्तररास्ट्रीय उपाय कीन जाय जवने से सदस्य देसन कै आम जनता औ वनके अधिकार वाले भूभागन कै जनता यन अधिकारन कां जगतबियापी औ असरदार मान्यता देय अउर वनकै पालन करावै।

अनुच्छेद 1 – सब मनइन कां गउरव औ अधिकारन के मामिला मां जनमजात आजादी औ बरोबरी मिली बा। वन्हैं बुद्धी औ अन्तरात्मा कै देन मिली बा औ आपस मां यक दुसरे के साथे भाईचारा के भाव से बरताव करै कां चाही।

अनुच्छेद 2 – सब केहू कां यहि ऐलान मां सामिल सब अधिकारन औ आजादियन कां पावै कै हक बा अउर यहि मामिला मां जाति, बरन, लिंग, भाषा, धरम, राजनीति या दूसर विचार परनाली, कउनेव देस या खास समाज मां जनम, सम्पत्ति या कउनेव प्रकार क दूसर मरजादा वगैरह के कारन भेदभाव कै विचार न कीन जाये। एकरे अलावा कउनव देस या प्रान्त ऊ चाहे आजाद होय, संरच्छित होय ,अपने सासन से बंचित होय या परिमित प्रभूसत्ता वाला होय, वहि देस या परदेस क राजनीतिक, क्षेत्रीय या अन्तर्रास्ट्रीय हालत के आधार पै हुवां के रहय वालेन मां कउनव फरक न कीन जाये।

अनुच्छेद 3– हर मनई कां जिनगी ,आजादी अउर निजी हिफाजत कै अधिकार बा।

अनुच्छेद 4– केहूं कां भी गुलामी की हालत मां न डारा जाये। हर मेर क गुलामी कै रिवाज अउर गुलामन क व्यापार कै हर तरह से मनाहीं होये।

अनुच्छेद 5– केहू कां भी दैहिक यातना (त्रास) ना दीन जाए औ ना केहू के साथे निर्दयी ,जालिमाना या अपमान करै वाला व्यवहार कइ जाए।

अनुच्छेद 6– सब केहू कां सब जगह कानून के नजर मां व्यक्ति के रूप मां मान्यता पावै कै अधिकार बा।

अनुच्छेद 7– कानून के नजर मां सब केहू बरोबर औ बिना भेदभाव के बरोबर कानूनी हिफाजत कै पात्र बा। यहि ऐलान कै हेठी कइकै कउनव भी फरक कीन जाय या वहि मेर के फरक का कउनेव मेर से हुमासा जाय तौ वोकरे खिलाफ बरोबर निगहबानी कै अधिकार सबकां बा।

अनुच्छेद 8– सब केहू कां संविधान या कानून से मिले बुनियादी अधिकारन क हेठी करै वाले कामन के खिलाफ समुचित (जरूरी) रास्ट्रीय अदालतन कै कारगर मदत पावै क हक बा।

अनुच्छेद 9– केहू कां भी मनमाने तौर पै गिरफ्तार या नजरबंद ना कइ जाए या देस से निकारा न जाए।

अनुच्छेद 10– सबकां पूरी तरह यक जइसन हक बा कि वनके अधिकारन औ करतव्यन का तय करै के मामिलन मां अउर वनके उप्पर आरोपित फउजदारी क कउनेव मामिला मां वनकै सुनवाई न्यायोचित औ जाहिरा तौर पै निरपेच्छ और निस्पच्छ अदालत मां होय।

अनुच्छेद 11 (1)– ऊ हर मनई जेहि पै सजाजोगे अपराध कै आरोप लगाइ गै होय, तब तक निरपराधै मानि जाए जब तक वोकां यइसन खुली अदालत मां ,जहां सफाई कै सब जरूरी सहूलियत मिली होय, कानून के हिसाब से अपराधी सिद्ध ना कै दीन जाय।

(2) कउनव भी मनई कउनेव भी अइसन किहे या बिन किहे कसूर के कारन वहि सजाजोगे कसूर कै कसूरवार ना माना जाए जेकां वहि समय के रास्ट्रीय या अन्तर्रास्ट्रीय कानून के हिसाबे सजाजोग कसूर ना मानि जात होय औ न ओसे जादा सजा दीन जाय सके जौन वहि समय दीन जात जब ऊ सजाजोगे कसूर कीन गै रहत।

अनुच्छेद 12.–कउनेव मनई के एकांतता, परिवार, घर या चिट्ठी चौपाती के मामले मां कउनव मनमाना दखल ना कइ जाये, ना केहू के इज्जत औ सोहरत पै कउनव आच्छेपय कइ जाये। अइसन दखलन या आच्छेपन के खिलाफ हर केहू कां कानूनी हिफाजत कै हक बा।

अनुच्छेद– 13. (1) हर मनई कां हर देस की सीमा के भित्तर आजादी से आवै जाय औ बसै कै अधिकार बा।

(2) हर मनई कां आपन या परावा कउनव भी देस छोड़ै औ अपने देस वापस आवै कै अधिकार बा।

अनुच्छेद– 14. (1) हर मनई कां सतावा गये पै दुसरे देस मां सरन लेय औ रहय कै अधिकार बा।

(2) यहि अधिकार कै फायदा अइसन मामलन मां ना मिले जेनकै रिस्ता सचमुच के गैर राजनीतिक अपराधन से होय या जे संजुक्तरास्ट्र के उददेस्यन के खिलाफ काम होंय।

अनुच्छेद– 15. (1) हर मनई कां कउनेव भी रास्ट्र के नागरिकता कै अधिकार बा।

(2) केहू कां मनमानी अपने रास्ट्र क नागरिकता से वंचित ना कइ जाए या नागरिकता बदलै से मना ना कइ जाए।

अनुच्छेद–16. (1) बालिग मेहरारू मरदन का कउनव जाति, रास्ट्रीयता या धरम के रुकावटन के बगैर आपस मा बियाह करै औ परिवार बनावै कै अधिकार बा। बियाहे, बियाहे के बाद क जिनगी औ बियाह तोरै के बारे मां वन्हें बरोबर अधिकार बा।

(2) बियाहे कै इरादा करै वाले मेहरारू मरदन कै पूर पूर औ बिना जोर जबरदस्ती वाली हामी के ही बिना पै बियाह होइ पाये।

(3) परिवार समाज कै स्वाभाविक औ बुनियादी सामूहिक इकाई बा औ ओकां समाज औ राज्य से निगहबानी पावै कै अधिकार बा।

अनुच्छेद–17 .(1) हर मनई कां अकेल या अउरन के साथे मिलि कै आपन राय रक्खै कै हक बा।

(2) केहू कां भी मनमानी कइकै अपनी राय से वंचित ना कइ जाए।

अनुच्छेद–18. हर मनई कां विचार ,अंतरात्मा औ धरम क आजादी कै अधिकार बा। यहि अधिकार मां आपन धरम या बिस्वास बदलै अउर अकेल या अउरन के साथे मिलिकै तथा खुलेआम या निजी तौर पै अपने धरम या बिस्वास कां सिच्छा, किरिया कलाप, उपासना अउर व्यवहार मां परगट करै कै भी आजादी बा।

अनुच्छेद–19. हर मनई कां विचार करै औ ओकां व्यक्त करै क आजादी कै हक बा। यहि अधिकार मां बिना दखल के कउनव राय रक्खब और कउनेव भी माध्यम से तथा कउनिउ सीमा कै परवाह न कइकै केहू कै कउनिउ सूचना औ धारना कै खोज,आदान औ परदान सामिल बा।

अनुच्छेद– 20. (1) हर मनई कां सान्ती से सभा करै या समिति बनावै क आजादी कै हक बा।

(2) केहू कां कउनेउ भी संस्था कै सदस्य बनै की ताईं मजबूर नाय कइ जाय सकत।

अनुच्छेद–21. (1) हर मनई कां अपने देस के सासन मा सोझे या सुतन्त रूप से चुनि कै आये प्रतिनिधियन के जरिये हिस्सा लेय कै हक बा।

(2) हर मनई कां अपने देस क सरकारी नौकरी पावै कै बरोबर अधिकार बा।

(3) सरकार कै सत्ता क आधार जनता कै इच्छा होये।ई इच्छा टैम टैम पै असिली चुनावन मां परगट होये। यै चुनाव सार्वभौम औ समान वोट देय क अधिकार के जरिये होइहैं औ गुप्त मतदान के जरिये या कउनिव दूसर सुतन्त मतदान पद्धती से कराइ जइहैं।

अनुच्छेद–22. समाज के सदस्य के मेर हर मनई कां सामाजिक सुरक्षा कै अधिकार बा औ हर केहू कां अपने व्यक्तित्व के वइसन सुतन्त विकास औ गउरव की ताईं–जवन रास्ट्रीय जतन या अन्तर्रास्ट्रीय सहजोग औ हर राज्य के संगठन औ साधनन के अनुकूल होय–लाजिमी तौर पै जरूरी आर्थिक, सामाजिक औ सांस्कृतिक अधिकारन का पावै कै हक बा।

अनुच्छेद–23. (1) हर मनई कां काम करै, मरजी के हिसाब से रोजगार चुनै, काम कै ठीक औ सुभीते क परिस्थितियन का पावै औ बेकारी से निजात की ताईं निगहबानी पावै कै हक बा।

(2) हर मनई कां बरोबर काम की ताईं बिना कउनेव भेदभाव के बरोबर मजूरी पावै कै हक बा।

(3) हर मनई कां, जे काम करत होय, अधिकार बा की ऊ यतनी उचित औ अनुकूल मजूरी पावै, जौने से ऊ अपनी औ अपने परिवार की ताई यस गुजर बसर क इन्तिजाम कइ लेय जौन मनई क गउरव के जोगे होय औ जरूरत परे पै ओकै पूर्ती दुसरी मेर क सामाजिक निगहबानियन से होई सकै।

(4) हर मनई कां अपने हितन की रक्षा की ताईं श्रमजीवी संघ बनावै औ वनमां भाग लेय कै अधिकार बा।

अनुच्छेद– 24. हर मनई का आराम और छुट्टी कै हक बा। यहि अधिकार मां काम के घण्टन कै उचित हदबन्दी औ टैम–टैम पै मजूरी समेत छुट्टियो सामिल बा।

अनुच्छेद– 25. (1) हर मनई कां अइसन जिनगी कै असतर पावै कै हक बा जवन वोकरे औ वोकरे परिवार क तंदुरूस्ती और कल्यान की ताईं काफी होय। यह मां खाना ,कपड़ा, मकान ,दवाई सम्बन्धी सहूलियति औ जरूरी सामाजिक सेवौ सामिल बाटीं। सबकां बेकारी, बेमारी, लाचारी ,रंड़ापा, बुढ़ापा या कउनिव दुसरी यस परिस्थिति मां गुजर बसर कै साधन ना होय पै, जवन ओकरे काबू कै बहेरे होय, सुरच्छा कै हक बा।

(2) जच्चा बच्चा कां खास मदत औ सुविधा कै हक बा। हर बच्चा कां चाहे ऊ बियाही महतारी से पैदा भा होय या बिन बियाही महतारी से, ,यक जइसन सामाजिक निगहबानी मिले।

अनुच्छेद– 26. (1) हर मनई कां पढ़ै लिखै यानी सिच्छा पावै क हक बा। कम से कम सुरूआती औ बुनियादी सिच्छा मुफ्त रहे। सुरूआती सिच्छा लाजिमी होये। टेक्निकल, यान्त्रिक और पेसा सम्बन्धी सिच्छा साधारन रूप मां मिले औ ऊँची सिच्छा सबकां जोग्यता के आधार पै यक जइसन उपलब्ध होए।

(2) सिच्छा क उद्देस्य होये मनई के व्यक्तित्व कै पूर–पूर विकास औ मनइन के अधिकारन औ बुनियादी आजादियन के प्रति सम्मान कै पुस्टी। सिच्छा से रास्ट्रन, जातियन अउर धारमिक समूहन मां सद्भावना, सहनसीलता औ मेलजोल कै विकास होये औ सांति बनाये रहै की ताईं संयुक्त रास्ट्र के प्रयत्नन कां आगे बढ़ावा जाए।

(3) महतारी बाप कां सबसे पहिले यहि बाति कै अधिकार बा कि वै चुनि सकैं कि कउने किसिम क सिच्छा वनके बच्चन का दइ जाय।

अनुच्छेद– 27. (1) हर मनई कां आजादी के साथे समाज के सांस्कृतिक जिनगी मॉ हिस्सा लेय, कला कै आनंद लेय और वैज्ञानिक तरक्की औ वोकरी सहूलियतन मां भाग लेय कै हक बा।

2) हर मनई का कउनव भी यस वैज्ञानिक ,साहित्यिक या कलात्मक कृति से पैदा भये नैतिक औ आर्थिक हितन क रच्छा क अधिकार बा, जौने कै रचयिता उ खुद होय।

अनुच्छेद– 28. हर मनई कां अइसन सामाजिक औ अंतर्रास्ट्रीय व्यवस्था पावै कै अधिकार बा जवने मां यहि ऐलान मां लिखे अधिकारन औ आजादियन कां पूर पूर पाइ जाय सकै।

अनुच्छेद– 29. (1) हर मनई कै वही समाज के बरे करतव्य बा जवने मां रहि कै ओकरे व्यक्तित्व कै आजाद औ पूरा विकास होइ सकै।

(2) अपने अधिकारन औ आजादियन क इस्तेमाल करत कै हर मनई खाली अइसन सीमा कै पाबन्द होये जवन कानून द्वारा तय होय औ जेकै एक्कै उद्देस्य अउरन कै अधिकारन और आजादियन की ताईं आदर और समुचित मंजूरी पाउब होय अउर जेकै जरूरति प्रजातन्त्रात्मक समाज मां नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था और सामान्य कल्यान क उचित जरूरतन का पूरा करय की ताईं होय।

(3) यन अधिकारन और आजादियन कै इस्तेमाल कउनेव मेर से संजुक्त रास्ट्र के सिद्धान्तन औ उद्देस्यन के खिलाफ ना कइ जाए।

अनुच्छेद– 30. यहि ऐलान मां लिखी कउनिव बात कै ई मतलब नांय लगावा जाय का चाही जवने से लागै कि कउनेव भी राज्य,समूह या मनई कां कउनेउ अस कोसिस मा लिपटय या अइसन काम करै क हक बा जवने कै उद्देश्य हियां बतावा गै अधिकारन औ आजादियन मां कउनेउ कै भी नास करब होय।

अनुवादक– कृष्ण प्रताप सिंह

सम्पर्क : 5/18/35, बछड़ा सुलतानपुर, फैजाबाद– 224 001
मो. : 09838950948